

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1979/आषाढ़ 21, 1901
No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1979/ASADHA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1979

का. आ. 395 (अ).—केंद्रीय सरकार, ग्रेशम एंड कंवेन आफ इण्डिया (प्राइवेट)
लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 42) की धारा
30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है,
अर्थात्,—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम ग्रेशम एंड कंवेन आफ
इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) नियम, 1977 के नियम 3 के परन्तुक में, "तो आयुक्त तीस दिन की और अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "तो आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. का. 2(1)/78-एच. एम. 31]

आर. कृष्णास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 1979

S.O. 395(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977, the Central Government hereby amends the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the proviso to rule 3 of the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Rules, 1977, after the words "he may", the words "after recording reasons in writing" shall be inserted.

[File No. 2(1)/78-HM-III]

R. KRISHNASWAMY, Jt. Secy.